बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक– 09 / 06 /2026

संख्या–18 / विविध–18 / 2017–572(18)/B नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 54 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार राज्य नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2013 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :–**

(1) यह नियमावली "बिहार राज्य नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) (संशोधन) नियमावली 2026" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. **बिहार राज्य नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2013 के नियम–1(2) सह पठित बिहार नैदानिक स्थापन (पंजीकरण और विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2025 के नियम–2 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–**

"इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा और यह राज्य के 40 शय्या (बेड) से ऊपर के सभी नैदानिक स्थापनों पर लागू होगा।"

3. **बिहार राज्य नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2013 के नियम–1 में उप–नियम–(4) का अन्तःस्थापन निम्नवत किया जायेगा :–**

"नियम–1(4) – ऊपर नियम 1(2) में बताए गए नैदानिक स्थापना के अलावा, अन्य नैदानिक स्थापना के पास "बिहार राज्य नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2013" के तहत अपना पंजीकरण करवाने का विकल्प रहेगा और ऐसे नैदानिक स्थापना को राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित किसी अन्य नियम / विनियम के अधीन पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।"

4. **बिहार राज्य नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2013 के नियम–20(1) का प्रतिस्थापन निम्नवत किया जायेगा :–**

"अधिनियम की धारा–14(1) और 14(3) के अधीन आवेदक द्वारा एस०जी०ए०आर० उपाबंध के अनुसार फार्मेट में आवश्यक सूचना सहित औपबंधिक रजिस्ट्रीकरण के साथ–साथ संबद्ध

विभागीय स्वीकृतियो के लिए सभी आवेदन जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार को एकल नोडल एजेंसी (एस०एन०ए०) के केन्द्रीकृत डिजिटल पोर्टल के माध्यम से करेगे।"

5. बिहार राज्य नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2013 के नियम–20(2) का प्रतिस्थापन निम्नवत किया जायेगा :–

"अधिनियम की धारा–24 तथा 25 के अधीन आवेदक राष्ट्रीय परिषद द्वारा विहित किये जाने वाले फार्म और फार्मेट में नैदानिक स्थापनों की विभिन्न कोटियो के लिए न्यूनतम मानको एवं कार्मिक की अपेक्षाएँ पूरा किये जाने के साक्ष्य सहित स्थायी रजिस्ट्रीकरण के साथ–साथ संबद्ध विभागीय स्वीकृतियों हेतु सभी आवेदन जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार को एकल नोडल एजेंसी (एस०एन०ए०) के केन्द्रीकृत डिजिटल पोर्टल के माध्यम से करेंगे।"

6. बिहार राज्य नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2013 के नियम–23(1) का प्रतिस्थापन निम्नवत किया जायेगा :–

"जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार, स्वयं यह संतुष्ट होने के पश्चात कि आवेदक ने नैदानिक स्थापन चलाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम मानकों और कार्मिक के प्रावधान सहित सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर लिया है, राष्ट्रीय परिषद द्वारा तैयार किये गये फार्मेट के अनुसार स्थायी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र आवेदक को उक्त एकल नोडल एजेंसी (एस०एन०ए०) के केन्द्रीकृत डिज़िटल पोर्टल के माध्यम से निर्गत करेंगे।"

7. बिहार राज्य नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2013 के नियम–24 में उप नियम–10 निम्नवत जोड़ा जायेगा :–

"नैदानिक स्थापनों द्वारा पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा किये गये निर्धारण के अनुसार एकल नोडल एजेंसी को किया जायेगा।"

8. बिहार राज्य नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2013 के नियम–27 में उप नियम–07 निम्नवत जोड़ा जायेगा :–

"नैदानिक संस्थानों के स्थापना हेतु विभिन्न विभागो (यथा–अग्नि, प्रदुषण, औषधि आदि) द्वारा अंकित किये गये सभी कमियों/त्रुटियों का संकलन एकल नोडल ऐजेंसी द्वारा किया जायेगा तथा उक्त कमियों/त्रुटियों का निराकरण वैद्यानिक समय सीमा के भीतर करने हेतु उक्त एजेंसी द्वारा आवेदक को समेकित ज्ञापन जारी किया जायेगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(कुमार रवि)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :—18 / विविध—18 / 2017— 572 (18) / स्वा० पटना, दिनाक— 09 / 06 / 2026

प्रतिलिपि :—अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित करते हुये अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना कि सौ प्रतियॉ स्वास्थ्य विभाग, विकास भवन, नया सचिवालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जाय।

प्रतिलिपि :—ई—गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग / अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग / प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग / सचिव, विधि विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :—सचिव, बिहार विधान सभा / बिहार विधान परिषद, पटना को सभा / परिषद के पटल पर रखने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव / सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव / सभी विशेष सचिव / सभी अपर सचिव / सभी संयुक्त सचिव / सभी उप सचिव / सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना / प्रबंध महानिदेशक, बी०एम०एस०आई०सी०एल०, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / सभी क्षेत्रिय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार / सभी सिविल सर्जन, बिहार / सभी प्राचार्य / अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार / निदेशक, आई०जी०आइ०एम०एस०, पटना / निदेशक, ए०आई०आई०एम०एस०, पटना / अध्यक्ष, आई०एम०ए०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—आई०टी० मैनेजर / प्रोग्रामर (श्री दिग्विजय), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निदेशित किया जाता है कि विभागीय साईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

9/6/26

सरकार के सचिव।

15 प्रति